

राजस्थान सरकार

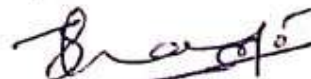


रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा (6) 1 के अन्तर्गत सब श्रोमती लहरों-उन्धवास, श्रीमति अंजना-उपा-0 श्रीमति सुगंजी-कोषाध्या तथा अन्य रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन ~~महिला संघ~~ सहकारी समिति लि० ~~लूणा कला~~ पंचायत समिति ~~झांझ~~ - पोस्ट ग्राम ~~लूणा कला~~ जिला जंसलमेर के नाम से स्वीकृत किया गया तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक ~~31-3-2001~~ को क्रमांक ~~447~~ / एम. पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ जिनका वर्णन आवेदन-पत्र में है और उक्त अधिनियम उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और समिति के उ-नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण - पत्र मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित आज दिनांक ~~31-3-2001~~ को जारी किया गया।




सहायक रजिस्ट्रार

सहकारी समितियां
जंसलमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत भैसड़ा पंचायत समिति

सांकड़ा मु0 पोकरण

क्रमांक / 2272/16

दिनांक 23/06/2020

अनापति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भैसड़ा में इस वर्ष पड़ रही भयंकर गर्मी व आपदा को देखते हुये पशुओं के लिए चारा डिपो व पशु शिविर के लिए अन्य किसी संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है न ही ग्राम पंचायत स्वयं चारा डिपो व पशु शिविर संचालित करेगी। (उगम भैसड़ा का आवेदन हो चुका है)
अथ राजस्व गोबो का अस्वाकित है

उगमदान
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भैसड़ा
प.स. सांकड़ा